शिक्षा का अधिकार: एक प्रवेशिका

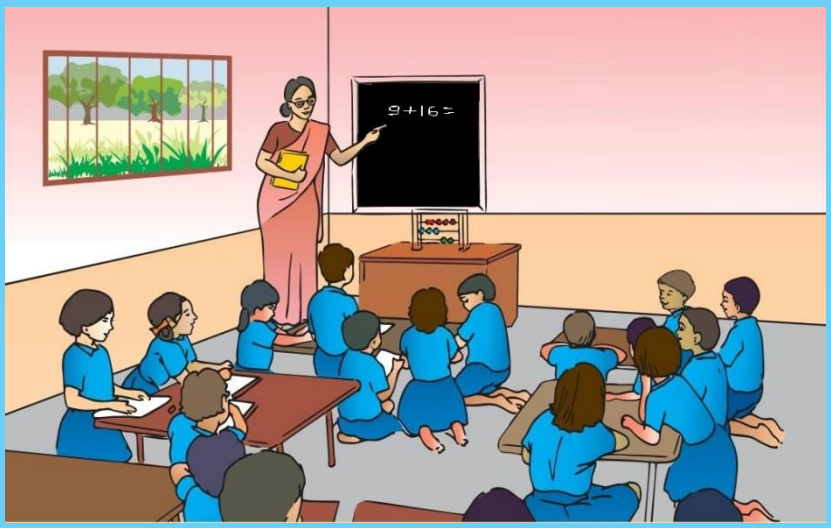

एनईजी– फायर (NEG-FIRE), ए–1, तृतीय तल, सर्वोदय इंक्लेव, नई दिल्ली–1100017

शिक्षा का अधिकारः एक प्रवेशिका (2014)

संकलन और सम्पादन
राकेश कु. सिंह
नेहा छेत्री

संकल्पना और सलाह
वेंगटेश कृष्ण
रेसमी भास्करन

डिजाइन
राकेश कु. सिंह

न्यू एजुकेशन ग्रुप – फाउंडेशन फॉर इनोवेसन एंड रिसर्च इन एजुकेशन (एन.ई.जी – फायर)

दिसंबर 2014 में प्रकाशित
केवल निजी वितरण के लिए

शिक्षा का अधिकारः एक प्रवेशिका

परिचय

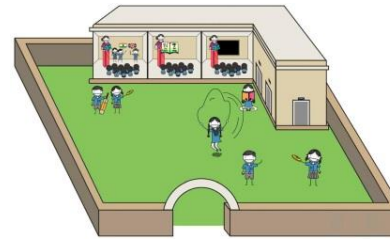

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार राज्य छह से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निर्धारित कानून के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू किया गया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी यह विधान देश के सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक विधायनों में से एक है। लाखों बच्चों की शिक्षा पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी के अलावा, यह विधान स्कूलों में अवरोध–मुक्त तथा तनाव–मुक्त वातावरण का निर्माण करने का भी प्रयास करता है।

केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का यह दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों ने अपने–अपने नियम बनाए हैं और इन्हें अधिसूचित किया है। यह अधिनियम इस अधिकार की गारंटी प्रदान करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूलों, शिक्षकों, और अभिभावकों की विशिष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करता है।

शिक्षा का अधिकार क्या है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिस अधिकार की गारंटी दी गई है, वह अधिकार हैः **अ)** 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के प्रत्येक बच्चे को, **ब)** निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, **स)** पड़ोस के स्कूल में, **द)** प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रदान किया जाने वाला अधिकार।

देश में 6 से 14 आयु के बीच के सभी बच्चों को, चाहे वे जहां भी तथा जिन परिस्थितियों में रहते हों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, निःशक्त बच्चे, प्रवासी बच्चे, संघर्ष से प्रभावित बच्चे, बाल श्रमिक, सड़कों पर भटकने वाले बच्चे, इत्यादि सभी को शिक्षा का अधिकार के तहत शामिल किया गया है।

क्या प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा निःशुल्क है?

हां। सभी बच्चे पड़ोस के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। यदि कोई बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो अभिभावकों को फीस का भुगतान स्वयं करना होगा। हालांकि यदि बच्चे का प्रवेश, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित समूह (देखें पृष्ठ 12, स्कूल के दायित्व) हेतु आरक्षित 25% सीटों की श्रेणी में है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

'अनिवार्य शिक्षा' का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि: **अ)** 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे, तथा **ब)** यह सुनिश्चित करे कि 6 से 14 आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा नामांकित हो, उपस्थित रहे और प्राथमिक शिक्षा पूरी करे।

पड़ोस का स्कूल क्या है?

इसका अर्थ ऐसे निकटवर्ती स्कूल से है जहां उपस्थित होना बच्चे के लिए आसान और सुविधाजनक हो। कक्षा 1–5 वाले बच्चों के लिए, स्कूल पड़ोस में एक (1) किमी. की पैदल दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। कक्षा 6–8 वाले बच्चों के लिए, स्कूल पड़ोस में तीन (3) किमी. की पैदल दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि छोटे टोलों के बच्चों के लिए, जहां कोई स्कूल नहीं है, निःशुल्क परिवहन तथा आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।

प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से है।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चे का पुनः नामांकन किस कक्षा में कराया जाएगा?

उन्हें उनकी आयु के अनुरूप उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका अर्थ है कि उन्हें उस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जिसमें उनकी आयु के बच्चे पढ़ रहे होंगे।

क्या किसी बच्चे का शिक्षा का अधिकार, स्कूल में नामांकन तथा उपस्थित होने तक ही सीमित है?

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, 'किसी बच्चे का अधिकार केवल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भेदभाव के बिना गुणवत्तापरक शिक्षा तक विस्तारित किया जाना चाहिए।'

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निम्न मुख्य प्रावधान हैं:

स्कूलों की पर्याप्त संख्या

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाने में सक्षम हो, सरकार को पर्याप्त संख्या में स्कूल स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे (जैसे, नए स्कूलों का निर्माण, भवन या कमरा किराए पर लेना, जमीन खरीदना, मौजूदा स्कूल भवनों का शिक्षण से इतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग न किया जाना)।

स्कूल में सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण

स्कूल, सभी मौसमों में उपयुक्त भवन में स्थित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि: **अ**) सरकार को किसी स्कूल को मान्यता प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भवन, राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है, **ब**) सभी सरकारी व निजी स्कूलों को स्कूल परिसर में अग्निशमन उपकरण रखने चाहिए, और स्टाफ को इन उपकरणों का प्रयोग करने की जानकारी होनी चाहिए, **स**) स्कूलों को ज्वलनशील और

विषाक्त पदार्थ नहीं रखने चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें ऐसी सामग्रियां सुरक्षित ढंग से भंडारित करनी चाहिए, तथा **द**) भवन का सुरक्षित होना सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

स्कूल में उत्पीड़न से स्वतंत्रता

किसी बच्चे पर शारीरिक दण्ड, मानसिक उत्पीड़न, यौन दुव्यर्वहार, या उत्पीड़न का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

स्कूल में भेदभाव नहीं

बच्चों को स्कूल में जाति, वर्ग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव न किए जाने का अधिकार प्राप्त है। भेदभाव करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

स्कूल में प्रवेश से मनाही नहीं

यदि कोई बच्चा आयु–प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इस आधार पर उसे नामांकन देने से इंकार नहीं किया जा सकता। आयु–प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में, अस्पताल या सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर के रिकार्ड या आंगनवाड़ी रिकार्ड आयु के प्रमाण के तौर पर उपयोग किए जा सकते हैं। यदि इनमें से कोई अभिलेख (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं है तो बच्चे की आयु के संबंध में अभिभावक या संरक्षक द्वारा घोषणा या शपथ–पत्र पर्याप्त होगा।

किसी बच्चे को इस आधार पर नामांकन से मना नहीं किया जा सकता कि शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। प्रत्येक राज्य ने नामांकन में छूट की अवधि निर्धारित की है जो अधिकांश मामलों में, शैक्षिक सत्र आरंभ होने के बाद 6 महीनों तक की है। बच्चे का नामांकन बढ़ाई गई अवधि के दौरान या इसके पश्चात भी हो सकता है। यदि किसी बच्चे को बढ़ाई गई अवधि के पश्चात अर्थात शैक्षिक सत्र आरंभ होने के 6 माह के बाद नामांकित किया जाता है तो उसे शेष बच्चों के समकक्ष लाने के लिए विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए।

सरकारी स्कूल, किसी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को नामांकित करने से मना नहीं कर सकता चाहे वह कभी भी स्कूल न गया हो या कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ चुका हो। ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल न गया हो या स्कूल छोड़ चुका हो वह स्कूल द्वारा विशेष शिक्षा पाने का हकदार है ताकि वह पढ़ाई में शेष बच्चों से पीछे न रह जाए। ऐसे बच्चे को स्कूल में कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है चाहे उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो जाए ।

सरकारी या निजी कोई भी स्कूल किसी बच्चे को इस आधार पर नामांकन देने से मना नहीं कर सकता कि वह जाँच परीक्षा में असफल हो गया है। बच्चे को नामांकित करने के लिए स्कूल को किसी बच्चे या अभिभावक की स्क्रीनिंग (प्रवेश परीक्षा) जांच प्रक्रिया करने का अधिकार नहीं है।

बच्चे को इस आधार पर सरकारी या सहायताप्राप्त स्कूल में नामांकन से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं है।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता

किसी भी बच्चे को कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी करने तक किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा।

कोई भी सरकारी या निजी स्कूल, किसी बच्चे को प्राथमिक स्तर पर कक्षा में रोक नहीं सकता तथा निष्कासित नहीं कर सकता। इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही सेंट जेवियर स्कूल, दिल्ली के विरूद्ध एक निर्णय दिया है जिसे उन सभी बच्चों को वापस लेना पड़ा जिन्हें असफल घोषित करके स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था।

सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सीसीई)

स्कूलों में 'सतत् एवं समग्र मूल्यांकन' लागू किया जाना है जिसके अंतर्गत वर्ष के अंत में परीक्षा कराने के बजाय बच्चे के शिक्षण का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाएगा। इससे शिक्षक को बच्चे की प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने और उन पहलुओं को चिन्हित करने में सहायता मिलेगी जिनमें सुधार की जरूरत है।

पाठ्यपुस्तकों एवं यूनिफार्म की निःशुल्क उपलब्धता

यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि सभी संबंधित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों तथा सरकारी स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। 6 से 14 वर्ष आयु के किसी भी बच्चे से किसी भी स्थिति में पाठ्यपुस्तकों के बदले कोई धनराशि नहीं ली जा सकती है।

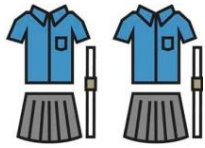

वंचित समूह और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चे, जो निजी गैर–सहायताप्राप्त स्कूलों या विनिर्दिष्ट स्कूलों में 25% कोटे में पढ़ रहे हैं, वे भी पाठ्यपुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिका निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

सुयोग्य शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षाएं ली जाएंगी

स्कूलों में पर्याप्त सुयोग्य शिक्षक अवश्य होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित, नियुक्त किया जाए और उनके वेतन का नियमित भुगतान किया जाए। सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक उपस्थित हों और कक्षाएं लें, तथा उन्हें और उन्हें शिक्षण के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं सौंपा जाए।

शिक्षकों की योग्यता

शिक्षकों हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता निम्न है:

कक्षा 1–5 के लिए: 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी+ आरंभिक शिक्षा में डिप्लोमा+ शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण।

कक्षा 6–8 के लिए: बी.ए./बी.एससी.+आरंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या शिक्षा स्नातक+शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण।

कोई शिक्षक जो वर्तमान में अपेक्षित योग्यता के बिना शिक्षण कार्य कर रहा है, चाहे वह सहायक शिक्षक या पैरा शिक्षक/शिक्षा मित्र हो, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिसूचित किए जाने से पांच वर्ष के अंदर, अर्थात 2015 तक न्यूनतम योग्यता अर्जित करनी होगी।

छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर)

कक्षाओं 1–5 के लिए, प्रत्येक 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक अवश्य होगा। यदि स्कूल में बच्चों की संख्या 150 से अधिक है तो एक प्रधान शिक्षक तथा 5 शिक्षक अवश्य होने चाहिए। यदि स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं तो प्रत्येक 40 बच्चे पर एक शिक्षक अवश्य होगा। कोई भी स्कूल एकल शिक्षक वाला स्कूल नहीं रह सकेगा। कक्षाओं 6–8 के लिए, प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, तथा विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषाओं के लिए अलग–अलग शिक्षक होने चाहिए।

स्कूल में न्यूनतम कार्यदिवस एवं शिक्षण घंटे

कक्षा 1–5 के लिएः प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम कार्यदिवस 200 तथा शिक्षण घंटे 800 होने चाहिए।

कक्षा 6–8 के लिएः प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम कार्यदिवस 220 और शिक्षण घंटे 1000 होने चाहिए।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे पढ़ाना चाहिए और स्कूल उपरोक्त वर्णित दिनों की संख्या तक अवश्य खोले जाएंगे। **इसमें शिक्षकों द्वारा पाठ तैयार करने या बच्चों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने में लगा समय सम्मिलित नहीं है। इसमें मध्यावकाश व बच्चों हेतु खेल का समय भी सम्मिलित नहीं है।**

शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षकों से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं

चुनाव एवं जनगणना ड्यूटी, या आपदा राहत में सहायता के अतिरिक्त शिक्षण से इतर कार्य नहीं सौंपे जा सकते। शिक्षकों को स्कूल भवन के निर्माण की निगरानी करना, मध्यान्ह भोजन पकाया जाना, फर्नीचर खरीदना या पोलियो ड्रॉप पिलाना आदि कार्य नहीं सौंपे जा सकते।

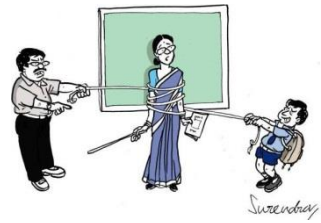

पर्याप्त अवसंरचना (जैसे, पेयजल, शौचालय, इत्यादि)

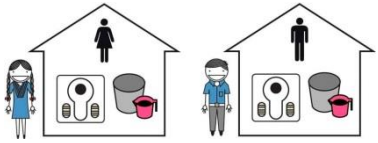

किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार में ऐसे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है जहां प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा–कक्ष, तथा एक कार्यालय–सह–भंडार–सह–प्रधान शिक्षक का कक्ष, एक रसोई जहां स्कूल में मध्यान्ह भोजन पकाया जाता हो, स्वच्छ पेयजल, बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, खेल का मैदान, खेलकूद उपकरण, और एक चहारदीवारी आदि सुविधाएं हों। शौचालय स्वच्छ होने चाहिए और उनमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो।

निःशक्त बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा की उपलब्धता

सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं (उदाहरण के लिए, रैम्प, विशेष शिक्षक, सहायक उपकरण, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, सुविधाजनक शौचालय, इत्यादि) उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निःशक्त बच्चों वाले प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक उपलब्ध कराया जाए।

अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा

प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने का हक है। यह सुनिश्चित करने के लिए, शैक्षिक प्राधिकारी को ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करना होगा जो: **अ**) संविधान में स्थापित मूल्यों को बढ़ावा देता हो, **ब**) बच्चे के समग्र विकास पर जोर देता हो, **स**) बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का विकास करता हो, **क**) शारीरिक व मानसिक क्षमताएं विकसित करे, **ख**) बच्चों के अनुकूल तथा बाल केंद्रित परिवेश में गतिविधियों, अन्वेषण के माध्यम से शिक्षण सुगम बनाता हो, तथा **ग**) बच्चे को उसके दृष्टिकोण स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करे।

शिक्षा का माध्यम, यथासंभव बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुच्छेद 21, गैर–सहायताप्राप्त निजी स्कूलों को छोड़कर सभी अन्य स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति स्थापित किए जाने की अपेक्षा करता है। एसएमसी अभिभावकों को उन स्कूलों की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग

करने में, जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और स्कूल विकास योजना तैयार करने में सहायता करेगी। इसमें सदस्यों के रूप में स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक या उनके संरक्षक, शिक्षक, तथा स्थानीय क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आदि होंगे।

एसएमसी के तीन चौथाई सदस्य अभिभावक या संरक्षक ही होंगे। इनमें से, स्कूल में अध्ययनरत कमजोर वर्गों तथा वंचित समूहों के बच्चों के प्रतिशत के अनुसार उनके अभिभावकों का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा। एसएमसी के कुल सदस्यों में से आधी महिलाएं ही होंगी। एसएमसी की बैठकें नियमित अंतरालों पर होनी चाहिए और रिकार्ड की जानी चाहिए।

मुख्य हितधारकों की जिम्मेदारियां

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्कूलों, शिक्षकों, और सामुदायिक सदस्यों का यह दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए।

केंद्र सरकार के दायित्व: व्यय के प्राक्कलन तैयार करना, शिक्षकों के लिए स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था करना तथा इसे लागू करना, शिक्षक प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार

करना (सेवारत प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के चरणों में प्रशिक्षण), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, इत्यादि।

केंद्र व राज्य सरकारों के दायित्व (संबंधित सरकार या स्कूल नियंत्रक पर निर्भरता के अनुसार): प्रत्येक बच्चे हेतु अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति, तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना, पर्याप्त स्कूलों की स्थापना करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी बच्चे से भेदभाव या दुर्व्यवहार न किया जाए,

आधारभूत संरचनाएं जैसे कि स्कूल भवन, शिक्षण स्टॉफ, और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, कानून में उल्लिखित मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्कूलों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करना, शिक्षण से इतर प्रयोजनों से शिक्षकों को नियुक्त न किया जाना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षकों के कुल स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त न हों, इत्यादि।

स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व: प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बच्चों से भेदभाव न किया जाना सुनिश्चित करना, अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किए जाने की निगरानी करना, अपने क्षेत्र में 14 वर्ष की आयु तक के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के रिकार्ड का रखरखाव करना। आधारभूत संरचना (जैसे, स्कूल भवन, शिक्षण स्टाफ, शिक्षण सामग्री), पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्रियां और यूनिफार्म उपलब्ध कराना, प्रवासी परिवारों के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना, इत्यादि।

स्कूल के दायित्व: सरकारी स्कूल, पड़ोस के सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, **सभी अन्य स्कूल (सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी गैर–सहायताप्राप्त स्कूलों सहित), कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को न्यूनतम 25% निःशुल्क प्रवेश देंगे,** कोई स्कूल कैपिटेशन फीस (घोषित स्कूल फीस के अलावा कोई दान या योगदान या भुगतान) नहीं लेगा, प्रवेश के समय कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी, किसी भी बच्चे के शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न की अवश्य रोकथाम की जाएगी, कक्षा 8 तक, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है, स्कूल प्रबंधन समिति गठित की जाएगी, इत्यादि।

शिक्षकों के दायित्व: स्कूल में नियमित तथा समय से उपस्थित होंगे, निर्दिष्ट समय–सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमताओं का मूल्यांकन करेंगे, तथा ज़रूरतमंद बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे, किसी बच्चे से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं देंगे, किसी बच्चे का मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे, कोई निजी ट्यूशन नहीं करेंगे, या किसी निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

स्कूल प्रबंधन समिति: स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, मध्यान्ह भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना, 3 वर्षीय स्कूल विकास योजना बनाना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दिए गए अधिकारों के अनुसार बाल अधिकारों के विषय में जागरूकता प्रसार करना, इत्यादि।

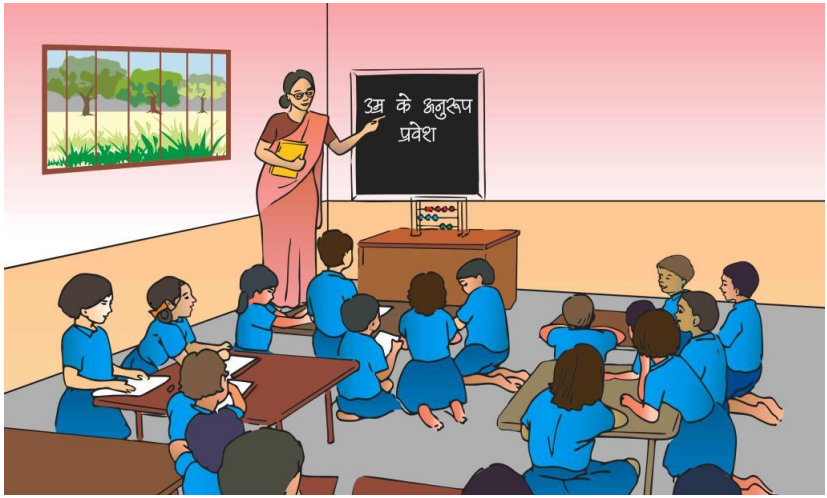

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) देश में शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए केंद्र सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। इसे राज्य सरकारों की साझेदारी में क्रियान्वित किया गया है यह नए स्कूलों के निर्माण, आधारभूत संरचना, अन्य सुविधाएं तथा प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि द्वारा वर्तमान स्कूल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

अभिभावकों एवं संरक्षकों के दायित्वः अपने बच्चे या वार्ड को पड़ोस के स्कूल में प्रवेश दिलाना, जहां प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जाती हो।

अन्य प्रावधान

स्कूलों को खर्च की प्रतिपूर्ति

गैर–सहायताप्राप्त निजी स्कूल, कक्षा 1 में नामांकित कुल बच्चों में से 25% के रूप में पड़ोस के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को अवश्य प्रवेश देंगे। इन बच्चों को कक्षा 8 पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यदि स्कूल में प्री–स्कूल कक्षाएं (नर्सरी या केजी) हैं, तो उन कक्षाओं में भी प्रवेश प्राप्त बच्चों में से 25% बच्चे कमजोर और वंचित समूहों के ही होने चाहिए।

कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर स्कूलों द्वारा खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। सरकार, स्कूल द्वारा प्रति बच्चे पर किए गए खर्च का भुगतान करेगी। यह धनराशि, स्कूल द्वारा प्रत्येक बच्चे पर खर्च की गई धनराशि या सरकार द्वारा स्थापित एवं स्वामित्व में, तथा नियंत्रित स्कूलों में प्रति बच्चे पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि में से जो भी कम हो, होगी।

निजी गैर–सहायताप्राप्त स्कूलों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी यदि स्कूल को कोई भूमि या भवन या अन्य सुविधाएं निःशुल्क या घटी दरों पर दी गई हैं और जिनके कारण इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य है।

दण्ड (जुर्माने)

- कैपिटेशन फीस लेने वाले किसी स्कूल या व्यक्ति को एक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो वसूली गई कैपिटेशन फीस के दस गुने तक हो सकता है। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की अनुमति से ही केस आरंभ किया जा सकता है।

- किसी बच्चे या अभिभावक की स्क्रीनिंग कराने वाले स्कूल या व्यक्ति को एक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो रू. 25,000/– तक हो सकता है। यदि अपराध दोहराया जाए तो जुर्माना रू. 50,000/– लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्कूल संचालित करता है, या मान्यता प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद स्कूल संचालित करता है, उस पर एक लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि जुर्माने के बाद भी स्कूल का संचालन जारी रहता है, तो मान्यता के बिना स्कूल संचालन के प्रत्येक दिन हेतु रू. 10,000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

अनुशासनिक कार्यवाही

- किसी बच्चे के एक स्कूल से अन्य स्कूल में जाने की स्थिति में, बच्चा तत्काल स्थानांतरण प्रमाणपत्र पाने का हकदार है। स्थानांतरण प्रमाणपत्र देने में देर करने वाले प्रधानाध्यापक या स्कूल प्रभारी के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
- बच्चे को शारीरिक दण्ड देने या मानसिक उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति– शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, इत्यादि–के विरूद्ध उनके सेवा नियमों के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
- स्कूल देर से आने वाले या नियमित न आने वाले या पाठ्यक्रम न पूरा कराने वाले या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित से इतर कोई कार्य करने वाले शिक्षक के विरूद्ध शिक्षक सेवा नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

शिकायत निवारण प्रणाली

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिकायत प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

- लिखित शिकायत क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, जैसे कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद (डिस्ट्रिक्ट काउंसिल) या पालिका निगम को की जाएगी, जो शिकायतें प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

- स्थानीय प्राधिकारी, तीन (3) माह के अंदर शिकायतों का निवारण अवश्य करेगा। शिकायत का समाधान करते समय, स्थानीय प्राधिकारी दोनों पक्षों अर्थात शिकायतकर्ता और स्कूल प्राधिकारी/शिक्षक/सरकारी कर्मचारी, इत्यादि का पक्ष अवश्य सुनेगा।

- स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील उस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के समक्ष की जा सकती है।

शिकायत एसएमसी के समक्ष भी की जा सकती है, जो अविवादित तरीके से स्कूल की समस्याओं के समाधान का सबसे उपयुक्त निकाय है।

यदि प्राधिकार शिकायत स्वीकार नहीं करता, या प्रतिक्रिया नहीं देता, या मामला तात्कालिक महत्त्व का है, तो उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की जा सकती है। मामले के तात्कालिक महत्त्व के आधार पर आरंभिक चरण में भी न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है।

याद रखने योग्य बातें

- **शिकायतें सदैव लिखित में ही होनी चाहिए**
- **स्थानीय अधिकारी, या एसएमसी, या एससीपीसीआर को भेजी गई शिकायत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के विशिष्ट विवरण होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक के अनुपस्थित रहने के बारे में शिकायत की जा रही है तो उस वास्तविक समय अवधि का उल्लेख किया जाए जिस दौरान शिक्षक स्कूल नहीं आया। यदि शारीरिक दण्ड के बारे में शिकायत है तो घटना की तिथि व समय, वास्तविक घटना विवरण, उपस्थित लोगों के विवरण, आदि अवश्य दिए जाएं।**
- **यदि बच्चे से स्कूल में अपराध किया गया है (जैसे, शारीरिक हिंसा या कमरे में बंद कर दिया जाना) तो बच्चा और अभिभावक प्राथमिकी लिखाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। उन्हें स्थानीय प्राधिकारी या एसएमसी से अनुमति नहीं लेनी होगी, किन्तु वे एसएमसी से सहयोग का आग्रह कर सकते हैं।**
- **प्राधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही किए जाने की संभावना अधिक रहती है जब उन पर लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाए, जैसे कि अनुस्मारक देना, असंतोषप्रद आदेशों के विरूद्ध अपीलें करना, इत्यादि ।**

एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और एससीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई हैं। एनसीपीसीआर को केंद्र में गठित किया गया है तथा प्रत्येक राज्य सरकार एक एससीपीसीआर गठित कर सकती है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को बच्चों के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करने का दायित्व सौंपा गया है।

भविष्य का रास्ता

अभी तक देश में शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन काफी मंद रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 2013 तक देश के 10% से भी कम स्कूलों ने अधिनियम के सभी मानदंड और मानक पूरे किए (आरटीई फोरम, 2013)। कमजोर आधारभूत संरचना, शिक्षकों की भारी कमी, और सीखने–सिखाने का अनुपयुक्त वातावरण, अधिकांश सरकारी स्कूलों की सामान्य विशेषताएं हैं। अधिकाधिक स्कूल खोलने और नियमित शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय राज्य, शिक्षा के अधिकार का सम्पूर्ण उल्लंघन करते हुए हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और शिक्षकों को संविदा आधार पर नियुक्त कर रहे हैं।

भारत के 1.4 मिलियन स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए भारतीय संसद ने प्रथम समय–सीमा 2013 निर्धारित की थी, अर्थात इसके प्रभावी होने के चार (4) साल के अंदर। किन्तु 2013 तक 10% से कम स्कूल ही शिक्षा के अधिकार का पूरी तरह पालन कर पाए। इस अधिनियम को साकार करने की दूसरी समय–सीमा मार्च 2015 तय की गई। यह भी पार हो चुकी है।

साथ ही, शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने तथा व्यापारीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र की दृढ़ता तथा बढ़ती रूचि भी चिंताजनक है। इसलिए यह वक्त की मांग है कि हम एकजुट हों और शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करते हुए, सार्वजनिक संसाधनों के पर्याप्त निवेश के साथ इस देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में राज्य की भूमिका निर्धारित करें।

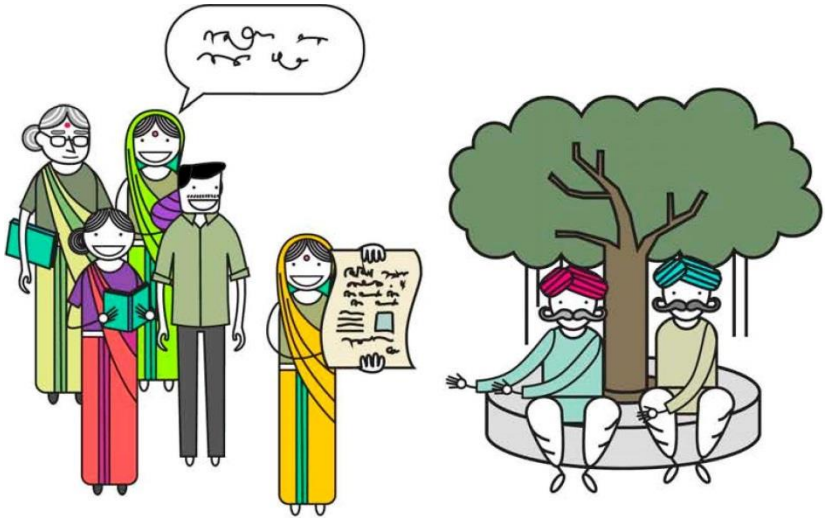

संदर्भः

1. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (2014), राइट टु एजुकेशन एक्ट, 2009: ए प्राइमर, बंगलौर
2. डॉ. निरंजनआराध्य वी पी तथा अभिनव झा (2013), यूनिवर्सल राइट ऑफ चिल्ड्रेन टु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट दृ माइल्स टु गोरू अ केस स्टडी ऑफ बन्नीकुप्पे ग्राम पंचायत, रामनगर जनपद, कर्नाटक, बंगलौर
3. आर. बी. एल. सोनी (2013), स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट–2009 इन कोंटेक्स्ट ऑफ डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन एट एलीमेंट्री स्टेज, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली
4. आरटीई फोरम (2013), दि आरटीई स्टाक टेकिंग रिपोर्ट, नयी दिल्ली
5. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग 2), कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

हमारी
दृष्टि

एनईजी–फायर एक विकास सहयोगी संगठन है जिसका उद्देश्य उचित शिक्षा और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व सामुदायिक समूहों के साथ अनुकूल और सक्रिय साझेदारी के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के जीवन में बदलाव लाना है।

हम हर दलित, आदिवासी, बालिका, और वे जो कमजोर अल्पसंख्यक तबकों से हैं, उन्हें अपने आसपास की दुनिया से रूबरू कराकर तथा उच्चतर शैक्षणिक या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा देकर, आत्मविश्वासी युवा शख्सियत के रूप में देखते हैं, ताकि एक समतावादी समाज का निर्माण हो सके।

हमारा
लक्ष्य

पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, बहुलवाद, सभी के लिए समानता, न्याय, शांति और सम्मान के मूल्यों को बरकरार रखते हुए हम भागीदार संस्थाओं को उन बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सक्षम बनाते हैं जो समाज में हाशिये पर हैं, परिणामतः भारत में सामाजिक परिवर्तन हो सके।

एनईजी–फायर
ए–1, तृतीय तल, सर्वोदय इंक्लेव
नई दिल्ली – 1100017
टेलीफैक्स – 91–11–26526570
ईमेल–info@negfire.org
वेबसाइट–www.negfire.org